न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 59 / 2024

उनवान

भंवरनाथ पिता मोडा नाथ जाति नाथ, उम्र 75 वर्ष निवासी टोलो का लुहारिया प0ह0 जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.................प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

...........विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 12.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता का नाम मोडा नाथ हैं। मोडा नाथ के तीन संतान है। जिनके नाम क्रमशः भंवरनाथ, लालूनाथ, और गणेश है। हमारे सयुंक्त खाते की जमीन ग्राम टोलो का लुहारिया में है। जिसके सेटलमेंट के पूर्व के नम्बर 170 / 10 रकबा 0.032है0 है। बाद में हम तीनों भाईयों ने आपस में बंटवारा कर लिया है। मेरे हिस्से की जमीन के नये नम्बर सेटलमेंट के बाद 471 / 282 है। हमारे खाते भी अलग अलग हो गये है। जमाबंदी में मेरा नाम भंवरनाथ के स्थान पर भवाना पुत्र मोडा नाथ कर दिया गया। जबकि मेरे आधार कार्ड व जनआधार कार्ड में मेरा नाम भंवर नाथ ही है। स्व0 मोडा नाथ के भवाना नाम का कोई लडका नहीं है। मेरा नाम जमाबंदी में भवाना के स्थान परप भंवरनाथ किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ग्राम टोलो का लुहारिया प0ह0 टोलो का लुहारिया खाता संख्या 76 खसरा संख्या 417 / 282 में भवाना के स्थान पर भंवरनाथ किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुत ग्राम टोलो का लुहारिया प0ह0 टोलो का लुहारिया जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 76 आराजी संख्या 417 / 282 रकबा 0.10है0 किस्म बारानी–1 किता 01 भूमि प्रार्थी भवाना पिता मोडानाथ जाति नाथ हिस्सा पूर्ण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। खातेदार अपना नाम भवाना के बजाय भंवरनाथ करवाना चाहता है। उक्त परिवाद की जांच के संबंध में प्रार्थी के परिवारजन, वार्ड पंच, सरपंच एवं उपस्थित मौतबिरान के समक्ष जानकारी प्राप्त करने पर यह जाहिर हुआ कि भवाना व भंवरनाथ दोनों एक ही व्यक्ति है। जबकि प्रार्थी के सलंग्न दस्तावेजों जैसे कि फोटा पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जनआधार ... में प्रार्थी का नाम भंवरनाथ दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:11:59 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 टोलो का लुहारिया रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम भवाना के स्थान पर भंवरनाथ किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

—:आदेशः—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम टोलो का लुहारिया प0ह0 टोलो का लुहारिया तहसील रावतभाटा में स्थित खाता संख्या 76 खसरा संख्य 417/282 रकबा 0.10 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम भवाना के स्थान पर भवाना उर्फ भंवरनाथ किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:11:59 IST
Reason: SelfAttested